FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

हनुमान .... बनाम .... प्रह्लाद वगैरह ....

किस्म मुकदमा .... दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 RT Act .... नं. .... 132 .... सन् .... 2021 ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
26.10.2021	यह पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत–हांसपुर में वादी वकील श्री कमल कुमार शर्मा एडवोकेट के द्वारा वादी हनुमान की ओर से अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादपत्र पेश किया गया। जिसमें वकील वादी मय वादी पक्षकार व वकील प्रतिवादीगण श्री रिछपाल सिंह बाजिया एड0 मय समस्त प्रतिवादीगण पक्षकारान् उपस्थित आये। ग्राम पचायंत हासंपुर में आयोजित शिविर के मजमे–ए–आम में पक्षकारान् ने उपस्थित होकर वादपत्र में अपने मध्य हुए सहमति के अनुसार राजीनामा पेश किया। उक्त प्रस्तुत राजीनामा में उपस्थित वादी हनुमान की पहचान श्री कमल किशोर शर्मा एड0 ने की एंव उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 की पहचान प्रतिवादीगण वकील श्री रिछपाल सिंह बाजिया एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान् को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान् ने सुन व समझकर सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण एंव वकील प्रतिवादीगण एंव पक्षकारान् ने प्रकरण को लोक अदालत की भावना से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण एंव वकील प्रतिवादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद [illegible] जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इ[illegible] अनु[illegible] पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला [illegible] दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक [illegible] को आयोजित शिविर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। Rathore 26/10/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः–हासंपुर	हनुमान वादी का पहिचान कर्ता कमल कुमार शर्मा प्रह्लाद जगदीश मो. हनुमान बनवारी राजेश्वर नि. [illegible] [thumb impression] मोहनलाल [illegible] रामसिंह यादव [thumb impression] नि. सीता [thumb impression] नि. [illegible] [illegible] प्रतिवादी सं. 1 ता 14 की पहचान कर्ता रिछपाल सिंह बाजिया (एडवोकेट)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
132 / 2021	2021 / 311	26.10.2021	26.10.2021

उनवान

1. हनुमान पुत्र केशाराम आयु 80 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम खनीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

वादी

बनाम्

1. प्रहलाद पुत्र स्व. जीवणराम आयु 55 वर्ष
2. जगदीश पुत्र स्व. जीवणराम आयु 52 वर्ष
3. मोहनलाल पुत्र स्व. जीवणराम आयु 50 वर्ष
4. बनवारी पुत्र स्व. जीवणराम आयु 45 वर्ष
5. रामेश्वर पुत्र स्व. जीवणराम आयु 40 वर्ष
6. बरजी देवी बेवा जीवणराम आयु 80 वर्ष
7. मदनलाल पुत्र स्व. पूरणमल आयु 55 वर्ष
8. रामगोपाल पुत्र स्व. पूरणमल आयु 52 वर्ष
9. रामसिंह पुत्र स्व. पूरणमल आयु 48 वर्ष
10. सीता देवी पुत्री स्व. पूरणमल आयु 50 वर्ष
11. संतोष देवी पुत्री स्व. पूरणमल आयु 35 वर्ष
12. सुगनाराम पुत्र स्व. केशाराम आयु 70 वर्ष
13. शंकरलाल पुत्र स्व. केशाराम आयु 65 वर्ष
14. गिरधारीलाल पुत्र स्व. केशाराम आयु 60 वर्ष

समस्त जाति अहीर नि[illegible] श्रीमाधोपुर जिला सीकर

15. भूमिधारी तहसीलदार [illegible] (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:42 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण

दिलीप सिंह 26/10/21
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

उपस्थित–

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।
श्री रिछपाल सिंह बाजिया, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 अभिभाषक
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 15

वादपत्र बाबत उद्घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 1.60 हैक्टर तन् ग्राम खनीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित हैं जिसकी खातेदारी जयनारायण उर्फ पूरणमल पुत्र केशाराम पिता प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 11 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 1082, 122, 123, 124, 125, 60, 70, 71 कुल किता 8 कुल रकबा 8.15 हैक्टर तन् ग्राम खनीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान मे अवस्थित है। जिसके हिस्सा 1/24, 1/24 की खातेदारी केशाराम के प्रत्येक पुत्रो वारिसो के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 136, 137 कुल रकबा 3.58 हैक्टर तन् ग्राम खनीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है जिसके 1/2 हिस्से की खातेदारी सुगनाराम पुत्र केशाराम व 1/2 हिस्से की खातदेारी हनुमान पुत्र केशाराम के नाम दर्ज से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 894 से 896, 947, 948, 948/1551 कुल किता 6 कुल रकबा 6.80 हैक्टर तन् ग्राम खनीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है जिसके हिस्सा 1/6, 1/6 हिस्सा की खातेदारी केशाराम के प्रत्येक पुत्र के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 966 रकबा 1.41 हैक्टर तन् ग्राम खनीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है जिसके सम्पूर्ण की खातेदारी जीवणराम के वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि [illegible] से 962 कुल किता 3 कुल रकबा 1.57 हैक्टर तन् ग्राम खनीपुरा [illegible] सीकर राजस्थान में अवस्थित है जिसके हिस्सा 1/6, 1/6 हिस्सा [illegible] प्रत्येक वारिसान पुत्र के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पक्षकारान आपस में एक ही परिवार से होकर स्व0 केशाराम के वारिस हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ... माधोपुर
26/10/21

वादपत्र की मद नम्बर 1 ता 6 में वर्णित भूमियों जो पक्षकारान का संयुक्त हिन्दू पारिवारिक की संयुक्त कृषि भूमियां हैं। जिनका पक्षकारान में अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व ही बाह्मी बंटवारा कर लिया था। उक्त बंटवारा अनुसार वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि सम्पूर्ण में 1/2 हिस्सा वादी हनुमान के हक हिस्से में व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 12 सुगनाराम के हक हिस्से में तथा वादपत्र की मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि जो पक्षकारान के नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि में 1/6 हिस्से मे से आधा हिस्सा अर्थात 1/12 हिस्सा की भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 के हिस्से में व 1/12 हिस्सा की भूमि प्रतिवादीगण नम्बर 7 ता 11 के हक हिस्से में तथा वादपत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित भूमि में 45/358 हिस्सा वादी हनुमान के हिस्से में व हिस्सा 200/358 की भूमि प्रतिवादी नम्बर 12 सुगनाराम के हक हिस्से में हिस्सा 113/358 प्रतिवादी गिरधारीलाल के हैं तथा वादपत्र की मद नम्बर 4 में वर्णित भूमि 167/680 हिस्सा की भूमि वादी हनुमान के हिस्से में व 225/680 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 13 शंकरलाल के हक हिस्से व हिस्सा 134/680 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 14 गिरधारीलाल के हक हिस्से में आया हुआ हैं व 77/680 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 के हक हिस्से में एंव हिस्सा 77/680 प्रतिवादी नम्बर 7 ता 11 के हक हिस्से मं आया हुआ हैं तथा वादपत्र की मद नम्बर 5 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि का हिस्सा 1/2 प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 के हिस्से में एंव हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 के हक हिस्से में आया हुआ है तथा वादपत्र की मद नम्बर 6 में वर्णित भूमि सम्पूर्ण के हिस्सा 1/2 जो सभी पक्षो के नाम दर्ज है में से आधी अर्थात 1/4 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 के हिस्से में एंव 1/4 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 7 ता 11 के हक हिस्से एंव बंटवारे में आयी हुयी है। इसी अनुसार सभी पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से एंव बंटवारे में आयी हुयी भूमियो पर बाह्मी बंटवारा के अनुसार बंटवारे के समय से ही पूर्णतया काबिज काश्त तन्हा रूप से चले आ रहे हैं। उपरोक्तानुसार सभी पक्षकार खातेदारी अपने अपने नाम बंटवारा अनुसार अलग–अलग दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी है। इस बंटवारा बाबत एक लिखापढ़ी भी दिनांक 14.07.2018 को तहरीर एंव तकमील करायी जा चुकी है। वादी आपसी बाह्मी बंटवारा के अनुसार अपने हक हिस्से एंव बंटवारे में आयी हुयी भूमि पर बंटवारा के [illegible]ग–अलग सीवंनीव कायम कर अलग–अलग काबिज काश्त हैं। इसी अनुसार वादी अपने [illegible] के अनुसार उपरोक्तानुसार अपने हिस्से की भूमि पर खातेदारी बंटवारा अनुसार प्राप्त करने का विधिक अधिकारी हैं। इसी अनुसार बंटवारा भी अलग से दर्ज कराने का अधिकारी है। अलग–अलग खातेदारी दर्ज नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:42 IST
Reason: SelfAttested

26/10/21
उपखण्ड अधिकारी, सवाईमाधोपुर

होने से वादी को सख्त हकतल्फी है। राज्य सरकार एंव केन्द्र सरकार द्वारा खातेदारो को भी दी जाने वाली सुख सुविधाओ से भी वादी को वंचित रहना पड़ता है व भूमियो का समुचित विकास भी नही कर पा रहा है। इस कारण भी वादी अपने नाम अलग से बंटवारा अनुसार खातेदारी अलग दर्ज कराने का अधिकारी है। वादी ने बाहमी बंटवारा के अनुसार खातेदारी अलग–अलग दर्ज कराने बाबत प्रतिवादीगण को पूर्व में कई बार कहा तो वे हां करते रहे एंव टालते रहे परन्तु अब कई बार कहने के उपरान्त भी उन्होने खातेदारी दर्ज कराने से आनाकानी करने लग गये है। इसी कारण बिनाय दावा उत्पन्न होकर वादी को यह वादपत्र अदालत हाजा मे पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा प्रस्तुत कर दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जावे–कि घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि पक्षकारान के मध्य हुये पारिवारिक बंटवारा के अनुसार तन् ग्राम खनीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 1.60 हैक्टर में हिस्सा 1/2 वादी हनुमान को व हिस्सा 1/2 प्रतिवादी नम्बर 12 सुगनाराम को व भूमि खसरा नम्बर 1082, 122, 123, 124, 125, 60, 70, 71 कुल किता 8 कुल रकबा 8.15 हैक्टर में सभी पक्षकारान के नाम दर्ज 1/6 हिस्से में हिस्सा 1/2 अर्थात सम्पूर्ण में 1/12 हिस्से के प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को एंव 1/12 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 को व भूमि खसरा नम्बर 136, 137 कुल रकबा 3.58 हैक्टर में हिस्सा 45/358 हिस्से का वादी हनुमान को व हिस्सा 200/358 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 12 सुगनाराम को व हिस्सा 113/358 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 14 गिरधारीलाल को व भूमि खसरा नम्बर 894 से 896, 947, 948, 948/1551 कुल किता 6 कुल रकबा 6.80 हैक्टर में हिस्सा 167/680 वादी हनुमान को, हिस्सा 225/680 प्रतिवादी नम्बर 13 शंकरलाल को हिस्सा 134/680 का प्रतिवादी संख्या 14 गिरधारीलाल को व हिस्सा 77/680 का प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को व हिस्सा 77/680 का प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 को व भूमि खसरा नम्बर 966 रकबा 1.41 हैक्टर में हिस्सा 1/2 प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को व हिस्सा 1/2 प्रतिवादी नम्बर 7 ता 11 को व भूमि खसरा नम्बर 960 से 962 कुल किता 3 कुल रकबा 1.57 हैक्टर में हिस्सा 1/2 प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को एंव हिस्सा 1/2 प्रतिवादी नम्बर 7 ता 11 को का[illegible]र काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्तानुसार अलग–अलग खाते[illegible]हक हिस्से एंव बंटवारे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:42 IST
Reason: SelfAttested

26/10/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

आयी हुयी भूमियो से एक दूसरे का नाम हजफ किया जाकर मुताबिक डिक्री खातेदारी दर्ज करवायी जाकर रिकार्ड में खातेदारी बंटवारा अनुसार अलग–अलग दर्ज करवायी जावे।

इस बाबत एक वादपत्र जरिये वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने दौराने शिविर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत हांसपुर में आयोजित शिविर में वकील वादी मय पक्षकारान् के द्वारा पेश किया गया। जिस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। दौराने शिविर में उपस्थित पक्षकारान् में से वादी हनुमान की पहचान श्री कमल कुमार शर्मा ने की एंव उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 की पहचान श्री रिछपाल सिंह बाजिया एडवोकेट के द्वारा की गई। उपस्थित समस्त वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 पक्षकारान् ने वादपत्र में अंकित तथ्यों से अपनी पूर्ण सहमति ग्राम पंचायत हांसपुर के मजमे–ए–आम में व्यक्त करते हुए वादपत्र को पक्षकारान् के मध्य हुए पारिवारिक बंटवारा अनुसार बरूये सहमति/राजीनामा से खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत डिक्री किये जाने का निवेदन वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण के द्वारा किया गया। प्रकरण में हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड एंव दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 की कुल सात जमाबन्दियों में अंकित खातेदारी प्रकरण में उपलब्ध सजरा खानदान में अंकित विवरण अनुसार पक्षकारान् आपस में एक ही परिवार से होकर स्व0 केशाराम के वारिस है। जो संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त कृषि भूमियॉ होना तथा जिनका पक्षकारान् के मध्य अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व से ही बाहमी बंटवारा होना विदित होता है। उक्त बाहमी बंटवारा अनुसार समस्त पक्षकारान् ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपने मध्य हुए बाहमी बंटवारा अनुसार विधिक बंटवारा करवाये जाने का निवेदन प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत हांसपुर में आयोजित शिविर में किया गया है। जिस बाबत समस्त पक्षकारान् ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर एक राजीनामा भी पेश किया है जिसमें उपस्थित वादी की पहचान वकील श्री कमल कुमार शर्मा एड0 ने की एंव उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत [illegible] वकील श्री रिछपाल सिंह बाजिया एड0 ने की। प्रस्तुत राजीनामा [illegible] सही होना स्वीकार किये जाने पर राजीनामा को बाद तस्दीक शा[illegible] है। प्रकरण में समस्त पक्षकारान्

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

के आपस में सहमति व्यक्त करते हुए राजीनामा पेश कर तस्दीक क़िये जाने से उक्त वादपत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत उद्घोषणा, बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि अवस्थित तन् ग्राम खन्नीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के भूमि खसरा नम्बर 132 रकबा 1.60 हैक्टर में हिस्सा 1/2 का वादी हनुमान को, हिस्सा 1/2 का प्रतिवादी नम्बर 12 सुगनाराम को एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 1082, 122, 123, 124, 125, 60, 70, 71 कुल किता 8 कुल रकबा 8.15 हैक्टर में सभी पक्षकारान के नाम दर्ज 1/6 हिस्से में हिस्सा 1/2 अर्थात सम्पूर्ण में 1/12 हिस्से के प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को एंव 1/12 हिस्से के प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 को एंव भूमि खसरा नम्बर 136, 137 कुल रकबा 3.58 हैक्टर में हिस्सा 45/358 हिस्से का वादी हनुमान को व हिस्सा 200/358 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 12 सुगनाराम को व हिस्सा 113/358 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 14 गिरधारीलाल को व भूमि खसरा नम्बर 894 से 896, 947, 948, 948/1551 कुल किता 6 कुल रकबा 6.80 हैक्टर में हिस्सा 167/680 वादी हनुमान को, हिस्सा 225/680 प्रतिवादी नम्बर 13 शंकरलाल को, हिस्सा 134/680 का प्रतिवादी संख्या 14 गिरधारीलाल को व हिस्सा 77/680 का प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को व हिस्सा 77/680 का प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 को व भूमि खसरा नम्बर 966 रकबा 1.41 हैक्टर में हिस्सा 1/2 प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को व हिस्सा 1/2 प्रतिवादी नम्बर 7 ता 11 को व भूमि खसरा नम्बर 960 से 962 कुल किता 3 कुल रकबा 1.57 हैक्टर में पक्षकारान् के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 में से अर्थात् हिस्सा 1/4 प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 को एंव हिस्सा 1/4 प्रतिवादी नम्बर 7 ता 11 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उपरोक्तानुसार अलग–अलग खातेदारी दर्ज की जाने तथा एक दूसरे के हक हिस्से एंव बंटवारे में आयी हुयी भूमियो से एक दूसरे का नाम हजफ किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार खातेदारी बंटवारा अनुसार अलग अलग दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे । इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– हांसपुर

यह निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः– हांसपुर के जलसे–ए–आम में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः– हांसपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.06 14:54:42 IST
Reason: SelfAttested